इन्स्ता

पाबंदी से मुक्ति

म्मू संभाग में विपक्षी नेताओं पर से पाबंदियां हटा ली गई हैं। अब वे सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद तीन सौ सत्तर हटने के बाद सुरक्षा की दृष्टि से नेताओं को उनके घरों में एक तरह से नजरबंद कर दिया गया था। उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी गई थी। करीब दो महीने बाद जम्मू संभाग के नेताओं को यह राहत मिली है, पर घाटी के नेता अब भी प्रशासन की निगरानी में हैं। दरअसल, अनुच्छेद तीन सौ सत्तर समाप्त किए जाने के बाद घाटी में जिस तरह की स्थिति बन गई, उसे देखते हुए प्रशासन के लिए राजनीतिक गतिविधियों पर विराम लगाना जरूरी था। कश्मीर एक संवेदनशील राज्य है। वहां चरमपंथी और अलगाववादी ताकतें लंबे समय से सिक्रय हैं। वे जम्मू-कश्मीर की आजादी की मांग उठा कर नागरिकों को भड़काती रही हैं। ऐसे में उन पर प्रतिबंध न लगाने और राजनीतिक गतिविधियां चलाते रहने की छूट देने का अर्थ अव्यवस्था की स्थिति को न्योता देना था। राज्य में स्थिति नियंत्रण में बनाए रखने और नागरिक अधिकारों को बहाल करने के लिए जरूरी था कि राजनीतिक और अलगाववादी गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। इसीलिए सबसे पहले घाटी के नेताओं को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर रखा गया।

करीब दो महीने से घाटी में कर्फ्यू है। जन-जीवन अभी पटरी पर नहीं आ पाया है। लोगों के रोजी-रोजगार के अवसर अवरुद्ध हैं। संचार सेवाएं सुचारु नहीं हो पाई हैं। ऐसे में विपक्षी दल और अनेक बुद्धिजीवी सवाल उठाने लगे हैं कि कब तक घाटी के लोगों को एक बंद घेरे में जीवन जीने को मजबूर किया जाएगा? उधर पाकिस्तान कश्मीर घाटी के लोगों के मौलिक अधिकारों के दमन का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठा रहा है। इसलिए सरकार पर खासा दबाव है कि जम्मू-कश्मीर में जल्दी स्थिति सामान्य बनाने का प्रयास किया जाए। जम्मू संभाग के गैर-भाजपा दलों के नेताओं पर लगी पाबंदियां हटा कर सरकार ने एक तरह से यही संकेत दिया है कि उसका इरादा विपक्षी दलों का दमन या उनके राजनीतिक अधिकारों को बाधित करना नहीं है। यह इस बात का भी संकेत है कि स्थिति सामान्य होते ही घाटी के नेताओं पर लगी पाबंदियां भी हटा ली जाएंगी। इस तरह सरकार पर दबाव बनाने वालों के स्वर में शायद कुछ नरमी आए।

जम्मू और कश्मीर की स्थितियां बिल्कुल भिन्न हैं। जम्मू संभाग उस तरह अलगाववाद के प्रभाव में कभी नहीं रहा है, जिस तरह कश्मीर में इसकी आवाजें उठती रही हैं। इसलिए जम्मू में सरकार और सुरक्षाबलों के सामने वैसी चुनौतियां न तो पहले रही हैं और न अब हैं। वहां स्थिति लगभग सामान्य है, इसलिए वहां के नेताओं को प्रशासनिक पाबंदियों से मुक्त कर दिया गया है। मगर कश्मीर में अभी हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे। वहां खुफिया एजेंसियों की खबरें आती रही हैं कि सीमा पार पनाह पाए चरमपंथी संगठनों की सिक्रयता तेज हो गई है। वे भारत में घुसपैठ के मंसूबे बांधते रहते हैं। दो दिन पहले भी सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में कुछ आतंकियों को मार गिराया था। इस तरह किसी भी प्रकार की ढील न सिर्फ कश्मीर समस्या के हल के प्रयासों को पटरी से उतार सकती है, बल्कि नागरिकों के जीवन के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। इसलिए भी सरकार का संकोच स्वाभाविक है। लिहाजा, वह घाटी में स्थिति सामान्य होने का इंतजार कर रही है।

अंधविश्वास की मार

अगेड़ीशा के गंजाम जिले में कुछ अंधविश्वासी लोगों ने वहां के छह बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ जिस तरह का बर्ताव किया, उससे एक बार फिर यही पता चलता है कि हम विकास के लाख दावे करें, लेकिन समाज के स्तर पर आज भी काफी निचले पायदान पर खड़े हैं। खबरों के मुताबिक वहां गोपुरपुर गांव में तीन महिलाओं की मौत हो गई और सात बीमार थीं, तो वहां के कुछ लोगों ने यह मान लिया कि इसके लिए जादू-टोना करने वाले जिम्मेदार हैं। इसी शक में लोगों ने गांव के ही छह बुजुर्गों को उनके घर से खींच कर बाहर निकाला, उन्हें बर्बरता से मारा-पीटा, उनके दांत उखाड़ लिए और यहां तक कि उन्हें मानव मल खाने पर मजबूर किया। हैरानी की बात यह है कि इस घटना के दौरान पीड़ित मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन गांव के किसी भी व्यक्ति ने हमलावरों को रोकना जरूरी नहीं समझा। क्या वहां के लोग शिक्षा-दीक्षा से लेकर जागरूकता के स्तर पर इतने पिछड़े हैं कि ऐसी घटनाओं में किसी तरह का दखल देना अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते? लेकिन जब किसी तरह मामला पुलिस तक पहुंचा तो कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया और बाकी लोग गांव छोड़ कर भाग गए।

सवाल है कि जब जागरूकता और जानकारी के अभाव में अंधविश्वास की चपेट में आए लोग किसी को मारते-पीटते, उनकी हत्या तक कर देते हैं या अमानवीय बर्ताव करते हैं तो इसके लिए आखिरकार कौन जिम्मेदार है। हालत यह है कि जादू-टोने के शक में किसी पर हमला करने वालों को पहले इसका भी खयाल नहीं रहता कि घटना को अंजाम देने के बाद कानूनी कार्रवाई में उन्हें किन स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि दूसरे अपराधों के मामले में भी यही होता है, लेकिन यहीं यह भी दर्ज करने की जरूरत है कि डायन या जादू-टोना जैसी झूठी धारणाओं के असर में होने वाले ऐसे अपराधों का कारण अंधविश्वास है। विडंबना यह है कि इन अपराधों के मामले में तो पुलिस किसी तरह कार्रवाई करती है, लेकिन जादू-टोना या डायन आदि तमाम झूठी धारणाओं के मूल पर चोट नहीं की जाती, ताकि भविष्य में लोग उससे मुक्त हो सकें। कई राज्यों में इससे संबंधित कानून भी हैं, लेकिन यह एक ऐसी समस्या है जिसका चेतनागत विकास के बिना कोई ठोस हल निकलना मुश्किल है।

देश के अलग-अलग हिस्सों से अक्सर अंधविश्वास की वजह से होने वाली आपराधिक और अमानवीय घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन यह समझना मुश्किल है कि ऐसी घटनाओं को रोक पाने में हमारी सरकारें क्यों नाकाम हैं और समाज के स्तर पर कोई ठोस असर पैदा करने वाली पहलकदमी क्यों नहीं दिखती हैं। कुछ संगठन अपने स्तर पर अंधविश्वास के विरुद्ध लोगों को जागरूक बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी पहुंच का एक दायरा होता है। यह बेवजह नहीं है कि धर्म, परंपरा या आस्था के नाम पर अंधविश्वासों का कारोबार फल-फूल रहा है और इसकी त्रासदी समाज के कमजोर तबकों के कुछ लोगों को झेलनी पड़ती है। अफसोसनाक यह है कि विकास के तमाम दावों के बीच इस तरह की घटनाएं बदस्तूर जारी हैं, लेकिन सरकारों को वैज्ञानिक चेतना से लैस शिक्षा प्रणाली और जागरूकता कार्यक्रम एक अभियान की तरह चलाना जरूरी नहीं लगता। जबकि सच यह है कि चेतना के स्तर पर यह पिछड़ापन हमारे विकास की सारी उपलब्धियों और तमाम शिक्षा-दीक्षा को बेमानी बना देता है।

कल्पमधा

बुरे लोगों को निंदा में आनंद आता है। सारे रसों को चख कर भी कौआ गंदगी से तृप्त होता है। –महाभारत

ठोस कचरे की चुनोती

सुविज्ञा जैन

विश्व स्तर पर आजकल संयुक्त राष्ट्र की चिंता प्लास्टिक कचरे को लेकर है। यह चिंता इसलिए है कि प्लास्टिक सदियों तक गलता-मिटता नहीं है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्लास्टिक की चिंता इस कारण से है कि यह प्लास्टिक कचरा आखिर में समुद्र में जाकर जमा हो रहा है और इस कचरे ने महासागरों के लिए खतरा पैदा कर दिया है। समस्या का विस्तार गली-कूचे से लेकर महासागरों तक हो चुका है।

चरा प्रबंधन विश्व की मुख्य समस्याओं की सूची में ऊपर आता जा रहा है। कचरे की समस्या अब शहरों की बदसरती तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह जल और वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण बन चुकी है। कचरे का संबंध शहरों में स्वास्थ्य से भी है। कुछ दशकों में प्लास्टिक कचरे ने तो पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र को इसे अपने सोच-विचार का विषय बनाना पड़ा है। भारत में भी स्वच्छता को लेकर पांच साल का एक अभियान पूरा हो चुका है। जाहिर है, इस अभियान के दौरान ठोस कचरे के प्रबंधन को लेकर जो मुश्किलें सामने आईं, उनसे भी सबक या अनुभव मिले हैं। कुछ दिनों तक हिसाब लगाया जाएगा कि कचरे के निस्तारण का काम कितना बढ़ पाया, और जो काम नहीं हो पाया, वह क्यों नहीं हो पाया। अड़चन कहां आई? आगे से उन बाधाओं को कैसे दूर किया जाए?

बेशक स्वच्छता अभियान शुरू होते समय लगा नहीं था कि लक्ष्य इतना बड़ा और इतना पेचीदा होगा। फिर भी योजनाकारों के पास देश में पक्के शौचालय आदि की जरूरत का मोटा अंदाजा जरूर था। लिहाजा, उस काम के लिए अलग से कर के जरिए संसाधनों का इंतजाम भी कर लिया गया। लेकिन स्वच्छता अभियान में ठोस कचरा प्रबंधन के मद वाला काम उस पैमाने पर होता नहीं दिखा। हो सकता है कि इसका एक कारण यह रहा हो कि पक्के तौर पर हमें यह नहीं पता था कि उद्योगों और घर-घर से निकले कचरे की वास्तविक मात्रा कितनी है ? न ही यह हिसाब लगा था कि इस कूड़े को अगर जमा कर भी लिया जाएगा तो नई केंद्रीयकृत व्यवस्था में कचरे के उस भारी-भरकम ढेर को निस्तारित कैसे करेंगे? कचरे के इस निपटान के काम का एक तकनीकी नाम हमारे

पास जरूर था. जिसे हिंदी में ठोस कचरा प्रबंधन कहते हैं। लेकिन अपने देश में यह प्रबंधन कितना भारी काम है, इसका शोधपरक ज्ञान या कोई अनुमान उपलब्ध नहीं था। बहुत संभव है कि सफाई की मुहिम के पांच साल में सबसे ज्यादा दिक्कत ठोस कचरा प्रबंधन में ही आई हो।

नगरीय और उपनगरीय क्षेत्रों में घर-घर से कचरा इकट्ठा करने में भारी खर्च कर-के कचरा जमा करने का कुछ काम होता तो दिखा, लेकिन उसे ठिकाने लगाने के लिए जगह की कमी पड़ती चली गई। पिछले पांच साल का अनुभव बता रहा है कि शहरी कचरे के पहाड़ों को और ऊंचा करना अब मुमिकन नहीं है। कचरे को गाड़ने या दबाने के लिए भी जमीन कम पड़ने लगी है। भूगर्भीय प्रदुषण की समस्या अलग है।

अगर कूड़े का निपटान आज इतनी बड़ी समस्या पाते हैं। यानी दो करोड़ टन कचरा अपने उद्गम बन गई है तो उसका समाधान खोजने से पहले एक नजर इतिहास पर भी डाल लेनी चाहिए। आज से कोई ढाई हजार साल पहले तक यूनान और रोम जैसे देशों के विकसित नगरों में भी कूड़े के निस्तारण की व्यवस्था नहीं थी। लोग घर के बाहर ही कचरा फेंका करते थे। प्रति व्यक्ति जमीन बहुत थी। आबादी थोड़ी होने से कचरा भी कम निकलता था। उस कड़े का प्रकार भी अलग था। वह जल्दी ही आक्सीकृत हो जाता था। उसके बाद आबादी बढ़ती गई। कुड़े की मात्रा बढ़ती गई। कुड़े को राज्य सीमाओं के बाहर फेंका जाने लगा। फिर नगर बड़े होते गए तो सीमाएं दूर होने लगीं और कूड़े की ढुलाई का काम

मुश्किल होता गया। तब निदयों में कचरा बहाने जैसे तरीके अपनाए जाने लगे। लेकिन कचरे को बहाए जाने की भी एक सीमा थी। यह प्रवृत्ति पूरे विश्व में उनीसवीं सदी तक आते-आते बदल गई। उसके बाद कूड़े को जलाना शुरू हो गया। लेकिन बढ़ती आबादी और विकास की होड़ में इस समस्या का आकार बढ़ता ही चला गया।

साल भर पहले तक देश में सालाना सवा छह करोड टन ठोस कचरा पैदा होने का अनुमान था। इस कचरे में प्लास्टिक, ई-कचरा और दूसरा खतरनाक कचरा भी शामिल है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह कि जहां यह कचरा पैदा होता या निकलता है, वहां से इसे उठाने का इंतजाम भी नगर पालिकाएं या नगर निगम नहीं कर पा रहे थे। दावा यह किया जाता है कि पूरे देश के स्थानीय निकाय सिर्फ सवा चार करोड़ टन कचरा जमा कर



स्थल पर ही इधर से उधर होता रहता है। या फिर बारिश में नालियों के जरिए नदियों में जा रहा है।

जहां तक ठोस कचरे के निस्तारण का सवाल है। तो सिर्फ एक करोड़ बीस लाख टन कुड़े का शोधन करके उसका निस्तारण किए जाने का दावा किया जाता है, यानी जमा किए गए सवा चार करोड टन कचरे में से सिर्फ सवा करोड़ टन कुड़े का निस्तारण होता है। इस तरह हर साल कुल कचरे का सिर्फ बीस फीसद हिस्सा हम उपचारित कर पाते हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि सरकारी स्तर पर ही तीन करोड़ टन कूड़े को किसी न किसी जगह या लैंडफिल साईट पर सड़ने-गलने के लिए डालने की मजबूरी है। विश्व स्तर पर आजकल संयुक्त राष्ट्र की चिंता प्लास्टिक कचरे को लेकर है। यह चिंता इसलिए है कि प्लास्टिक सदियों तक गलता-मिटता नहीं है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्लास्टिक की चिंता इस कारण से है कि यह प्लास्टिक कचरा आखिर में समुद्र में जाकर जमा हो रहा है और इसने महासागरों के लिए खतरा पैदा कर दिया है। समस्या का विस्तार गली-कूचे से लेकर महासागरों तक हो चुका है।

अगला सवाल समाधान का है। सुझाव नया नहीं, बल्कि बार-बार दोहराया जाता रहा है कि गीले कूड़े से खाद और ज्यादातर सूखे कचरे का पुनर्चक्रण ही तरीका है। रसोईघर से निकलने वाले गीले कूड़े से बिजली बनाने की बातें भी बहुत पहले से हो रही हैं। प्रायोगिक स्तर के तमाम मॉडल भी पेश हुए हैं। सूखे कचरे के पुनर्चक्रण के मॉडल भी बहतायत में दिखाए गए हैं, लेकिन औद्योगिक स्तर

> पर यानी बड़े पैमाने पर यह काम होता नहीं दिखा। आखिर क्यों? इसका जवाब इसके अलावा और क्या हो सकता है कि कचरे का पुनर्चक्रण मुनाफे का सौदा नहीं है। यह आर्थिक रूप से फायदेमंद काम होता तो प्लास्टिक कचरे को फौरन ही गायब होने से कोई ताकत नहीं रोक पाती। कचरा बीनने और उसे पुनर्चक्रण के लिए तैयार करने में जितना खर्च आता है, उससे सस्ता तो नया कच्चा प्लास्टिक बाजार में उपलब्ध है। यानी कूड़े के उपचारण का काम सिर्फ उसे ठिकाने लगाने के लिए तो हो सकता है, लेकिन उसे लाभकारी काम नहीं बनाया जा सकता।

> सवाल है कि आखिर पूरे कचरे को उपचारित करने में दिक्कत क्या है? सरकारें मानें या न मानें, दिक्कत सिर्फ एक है कि ठोस कचरे का निस्तारण या उपचारण बहुत

ही खर्चीला काम है। आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में पुनर्चक्रण जैसे काम को उत्पादक प्रकार का नहीं माना जाता। इसलिए इतने भारी-भरकम धन का प्रबंध कोई भी सरकार क्योंकर करना चाहेगी? जाहिर है, इतना सरकारी खर्च अगर गैर-उत्पादक काम पर होगा तो महंगाई बढ़ेगी। आमतौर पर सरकारों को महंगाई से डर लगता है। अगर वाकई मसला खर्चे का है तो हमें इंतजार करना चाहिए कि देश जल्द से जल्द साफ-सफाई और ठोस कचरा प्रबंधन पर खर्च करने लायक माली हैसियत हासिल करे, या फिर विज्ञान प्रौद्योगिकी वह तरीका ईजाद करे जिससे कचरे के पुनर्चक्रण का काम आर्थिक रूप से फायदे का बन जाए।

झूठ और बहाना

दुनिया मेरे आगे

रमाशंकर श्रीवास्तव

त में नाटक देख कर लौटे तो दोस्तों के साथ नाटक के पात्रों पर टीका-टिप्पणी होने लगी। एक ने कहा कि जो साधू बना था उसकी दाढ़ी सही नहीं लग रही थी। एक पात्र के मुंह पर पाउडर सही तरीके से नहीं पुता था। चर्चा चलते-चलते एक दोस्त ने कहा कि यार, नाटक तो पूरी जिंदगी में है, उस पर मुलम्मे के लिए झूठ और बहानेबाजी की जरूरत होती है। विचार करके देखिए तो दोस्त की इस बात में सच्चाई है। जन्म लेते ही बालक रोने लगता है, उसकी रुलाई दूध मांग रही है। रुलाई दूध पीने का बहाना बन कर आती है। देखने में सवाल छोटा-सा है, पर अपनी सच्चाई में वह हमारे जीवन की हर धड़कन में समाया है।

दरअसल, झूठ और बहाने में थोड़ा ही अंतर होता है। जीवन में हमें इन दोनों का अक्सर इस्तेमाल करना पड़ता है। दोनों के आगे मन शंकालु रहता है। विश्वास होता नहीं। झूठ अनेक शंकाओं को जन्म देता है। झुठ को सच जैसा दिखने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन बहाने का आधार थोड़ा मजबूत होता है। उसको शब्दों से सजाना

पड़ता है। जिसने जितना सजा लिया, उसका बहाना उतना ही विश्वसनीय लगता है। इन्हीं बातों में नाटकबाजी की भूमिका होती है। नाटक से जीवन का कोई काम नहीं संपन्न होता। दो पुराने मित्र बाजार में मिल गए। दोनों खुश। मित्र ने पृछा- 'तुम कैसे हो' तो जवाब था- 'मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम अपना बताओ।' मुंह से 'बिल्कुल ठीक' होने की बात निकल गई, मगर सच क्या है, वे ही जानते

होंगे। वास्तविक मनःस्थिति में बोलना होता है कुछ, और बोल जाते हैं कुछ और। मित्र को

अपने हाल के बारे में 'बिल्कुल ठीक' कहने के बाद किसी दुकानदार से बेबात ही झगड़ा कर बैठ सकते हैं। लोगों के साथ व्यवहार को कितना भी नियंत्रित कर लिया जाए, भीतरी मनःस्थिति का असर किसी न किसी रूप में पड ही जाता है। अगर भीतर से खुश हैं तो वह भी नहीं छिपेगा और दुखी, गुस्सा या परेशान हैं तो वह भी झलक जाएगा।

समाज में ऐसे कई मिलेंगे जिनकी बातों पर एकबारगी विश्वास नहीं होता। पिछले महीने एक सज्जन ने गंभीरता से कहा कि अब देखिए, इस देश का क्या होता है! अमेरिका तो भारत के खिलाफ हो गया है। सुनने वाले को शंका होती है कि यह आदमी

झुठा प्रचार कर रहा है। बड़ा नाटकबाज है। दरअसल, पूरी दुनिया ही बहानों के पीछे पड़ी है। कहती कुछ है और करती कुछ। कल जो कहा था, आज भूल गए। पिछले दिनों का बोला संवाद दस रोज बाद तक याद कहां रहता है! वह संवाद झुठ की लहर बन कर आया था और गया। अपनी बात सुनाने के पहले शब्दों पर विचार कर लेना चाहिए, ऐसा समझदार लोगों का कहना है। हम हर बार संकल्प लेते हैं कि

अब जो बोलेंगे, सोच-समझ कर बोलेंगे। लेकिन मौका पड़ने पर भूल जाते हैं।

नाटक में संवाद भूल जाना आम बात है। वैसे ही जिंदगी में जगह-जगह हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है जो हम पर अंकुश रखे। बहकने पर टोक दे। नहीं तो आवेश में हम क्या से क्या बोल जाते हैं। यह सच है कि आवेश में बोली बात भूलते देर नहीं लगती। नाटक तो नाटक है, कितना याद रखेंगे! उसी तरह ठीक से जीने के लिए बहुत-सी बातें भूलनी पड़ती हैं। कल पड़ोसी ने चुनौती दी कि उनकी बात अगर झूठ निकली तो वे अपनी मूंछ कटा लेंगे। बात झूठ निकली, मगर उन्होंने मूंछ नहीं कटाई। अब कौन याद दिलाए कि मूंछ कटा लो। सभी जानते हैं कि मुंछ कटाना कोई खेल नहीं है। कल वे घंटे भर तक इधर-उधर की बातें करते रहे। आज पूछा तो बोले, भूलो यार उन बातों को। बीती बातों में उलझ कर जिंदगी चौपट मत करो।

इसीलिए लगता है कि नाटक करने के लिए तरह-तरह के संवाद जरूरी हैं, लेकिन सारे संवाद हमेशा याद रखे जाएं, यह जरूरी नहीं। घर-परिवार मित्र मंडली, भाई-रिश्तेदार- सब जगह झूठ और बहानों का विस्तार है। जो सीधे सच्चे हैं और झुठ-सच में नहीं पड़ते, वे हर जगह फंस जाते हैं, क्योंकि बचाव के लिए जिस नाट्यकला की जरूरत है, वह उनमें नहीं होती है। सिनेमा या धारावाहिक नाटकों में जीवन के अनेक नाटक देखे जा जाते हैं। झूठ-सच बोलना पड़ता है। आप जानते हैं कि आप जो झेल रहे हैं, जो कर रहे हैं, वह सभी सच नहीं है। लेकिन आप इस सच्चाई को सीधे बना कर नहीं करते। झूट भी तभी असरदार होता है, जब उसे सच बना कर कहा जाए। शब्दों का प्रयोग और हावभाव सभी में थोड़ा परिवर्तन चाहिए। जीने के लिए सांस लेना जरूरी है, उसी तरह कुछ लोग अपने अस्तित्व के लिए झूठ और बहानेबाजी को जरूरी मानते हैं। लेकिन यह सवाल बना हुआ है कि वह झुठ या बहाना कितने पैमाने का हो कि किसी अन्य को उससे कोई भी नुकसान न हो!

नापाक मंसूबे

द्र सरकार ने 312 सिख अलगाववादियों व 🜱 7 आतंकियों के नाम काली सूची से हटा दिए और पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत बेअंत सिंह के हत्यारे बब्बर खालसा के आतंकी बलवंत सिंह राजोआना की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है। उसके इन कदमों को जहां देशभर में मनाए जा रहे श्री गुरु नानक देव जी के 550 वर्षीय जयंती समारोह के उपलक्ष्य में सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करने के प्रयासों में रूप में देखा जा रहा है, वहीं कुछ विश्लेषक मानते हैं कि जम्मू-कश्मीर में मुंह की खाने के बाद जिस तरह पाकिस्तान ने पंजाब में खालिस्तानी आतंक को हवा देने का फिर से काम शुरू कर दिया, इस कदम से पाक के इन कुत्सित प्रयासों से भी निपटा जा सकेगा। केंद्र सरकार के इन कदमों का राज्य में जहां स्वागत हुआ है वहीं इस बात की भी जरूरत महसूस की जाने लगी है कि सरकार लोगों का दिल जीतने की कोशिश तो करे पर सावधानी से. हवन करे परंतु हवनकुंड की अग्नि से हाथ बचा कर।

यहां गौरतलब है कि पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद बुरी तरह परास्त तो हुआ लेकिन पूरी तरह अभी मरा नहीं। इसके रोगाणु आज भी देश-विदेश में सिक्रिय हैं जो राज्य की युवा पीढ़ी को संक्रमित करने का काम कर रहे हैं। अमेरिका, कनाडा, इटली, इंग्लैंड सहित अनेक देशों में आज भी खालिस्तान के नाम पर भारत के अमन में अंगारे फेंकने का प्रयास होता रहता है। विदेशों में बसे खालिस्तानी आतंकियों व अलगाववादी शक्तियों की ओर से 'रेफ्रेंडम 2020' नाम से उग्रवाद की झुलसाहट पर घी फेंकने का प्रयास किया जा रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी 'के-2' अर्थात कश्मीर और

कुछ महीनों पहले तरनतारन के निरंकारी आश्रम में इन दिनों दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है और हर हुआ आतंकी हमला और हाल की घटनाएं इस बात देश अपने हाथ में माचिस की तीली जलाए हुए है। का प्रमाण हैं कि खालिस्तानी आतंक की आहट पर किसी एक की भी हिंसा की नीति संपूर्ण मानव सभ्यता शुतरमुर्ग वाला रवैया अपनाना ठीक नहीं होगा।

हाल ही में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 और 35-ए हटाए जाने के बाद वहां हुई सख्ती के बाद पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों का केंद्र पंजाब को बनाने की साजिश रची जा रही है। विगत पखवाड़े में जम्मू-कश्मीर में पकड़ा गया हथियारों का जखीरा पंजाब से ही होकर गया बताया जा रहा है। वहीं राज्य में पाकिस्तानी ड्रोन की गतिविधियों का खुलासा होने के बाद अब हथियार पकड़े जाने से

जिससे विश्व में शांति में स्थापित हो सके। • चिन्मय बाछाडु, काशी हिंदु विश्वविद्यालय बच्चों की खातिर वर्ल्ड विजन आफ इंडिया और इंस्टीट्युट फॉर

का नाश कर सकती है। ऐसे में हमें गांधीजी के

सिद्धांतों व विचारों का प्रचार-प्रसार करना होगा

फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिसर्च द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-८, सेक्टर-7, नोएडा २०१३०१, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

हड़कंप मच गया है। आशंका है कि इनसे किसी बडी वारदात को अंजाम देने की साजिश थी।

अंदेशा यह भी है कि पाकिस्तान देश के सीमावर्ती राज्य पंजाब के अपराधियों का उपयोग भी आतंकियों के रूप में कर सकता है और उन्हें हथियारों के साथ-साथ नशीले पदार्थों की आपूर्ति कर रहा है। केंद्र सरकार ने चाहे राज्य का माहौल सौहार्दपूर्ण बनाने व भटके हुए लोगों को नया अवसर देने का प्रयास किया है पर यह काम जितनी सावधानी से किया जाए उतना ही देश के हित में होगा।

● राकेश सैन, लिदड़ां, जालंधर

अमन का रास्ता

आज हम जिस युग में रह रहे हैं उसमें महात्मा खालिस्तान के संयुक्त मोर्चे पर काम कर रही है। गांधी के सिद्धांतों का महत्त्व और भी बढ़ जाता है।

मध्यप्रदेश बच्चों को पोषण और सुरक्षित जीवन देने के मामले में पूरे देश में सबसे पीछे है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा, बाल अधिकार और उनके लिए सकारात्मक माहौल जैसे बिंदुओं पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। मध्यप्रदेश के लिए यह स्थिति चिंताजनक है। बाल मृत्यु दर, कुपोषण और बच्चों के साथ हो रहे अपराधों को, जिनमें यौन शोषण जैसे मामले भी शामिल हैं, प्रदेश सरकार रोक नहीं पा रही है। बच्चे देश का भविष्य होते हैं लिहाजा, हमें अपने बच्चों का कल्याण हर हाल में सुनिश्चित करना चाहिए। सुनियोजित कार्ययोजना बनाकर संबंधित विभागों को अपनी योजनाएं गंभीरतापूर्वक लागू कर इस स्थिति से उबरने का प्रयास करना चाहिए।

लित महालकरी, इंदौर, मध्यप्रदेश

अपना गिरेबां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा है कि विश्व इस्लामोफोबिया (इस्लाम के प्रति भय/ घृणा) से ग्रस्त है। साथ ही उन्होंने धमकी दी कि कश्मीर के हालात ऐसे हैं कि दुनिया के 130 करोड़ मुसलिम हथियार उठा सकते हैं। इस धमकी के जरिए इमरान खुद इस्लामोफोबिया बढा रहे हैं, क्या इस बात का एहसास उन्हें है? जब आप बात-बात पर विश्व को आतंकित करेंगे, या करने का प्रयास करेंगे, तो आपके खिलाफ भय और घृणा बढ़ने वाले ही हैं। एक हैरत की बात यह है कि इमरान ने संसार के कुल 160 करोड़ मुसलिमों की जगह केवल 130 करोड़ की बात की। तीस करोड़ उन्होंने क्यों छोड़ दिए? वास्तव में ये 30 करोड़ हैं- शिया, अहमदिया जैसे समूह जो सुन्नी मुसिलमों के बीच अल्पसंख्यक हैं। ये समूह खुद इस्लामोफोबिया (अथवा सुन्नीफोबिया) के शिकार हैं। सुन्नी आतंकी इन पर भी हमले करते रहते हैं। इनके अतिरिक्त बलूच, पख्तून, सिंधी, मुहाजिर, सरायकी जैसे अन्य समुदाय भी हैं, जो सुन्नीफोबिया के मारे हैं।

इमरान के पुरखे जनरल एएके नियाजी ने 1971 में पूर्वी पाकिस्तान जाते हुए यह भयानक धमकी दी थी कि वे जल्दी ही वहां की जनसंख्या पश्चिमी पाकिस्तान से कम कर देंगे। इसलिए 267 दिन तक प्रतिदिन 12,000 हत्याएं, अर्थात कुल 32 लाख बंगालियों का कत्ल एवं 12 लाख बलात्कार कर नियाजी की फौज ने एक पैशाचिक रिकॉर्ड बनाया। ये आंकड़े पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हम्दुर्रह्मान आयोग और संयुक्त राष्ट्र के हैं। आज तक पाक हुक्मरानों ने इसके लिए क्षमा तक नहीं मांगी, उन हत्यारों-बलात्कारियों को दंडित करना तो दूर की बात है। ये ऐसे कृत्य हैं, जिनके कारण इस्लामोफोबिया फैला है।

पूनम मित्तल, मोहनपुरी, मेरठ

नई दिल्ली